67 लाख की ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने जोधपुर में 2 किलो 231 ग्राम अवैध एमडी बरामद की

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने जोधपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो 231 ग्राम अवैध एमडी बरामद की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 67 लाख रुपए आंकी गई है। टीम ने मादक पदार्थ की तस्करी में इस्तेमाल कार जब्त कर फलोदी निवासी 31 वर्षीय रामपाल धतरवाल को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में मध्यप्रदेश से तैयार एमडी लाकर राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में सप्लाई करने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ है।

महानिरीक्षक पुलिस एएनटीएफ विकास कुमार ने बताया कि कार्रवाई महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई में एएनटीएफ के साथ पुलिस थाना कापरडा, जोधपुर ग्रामीण की टीम की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

एएनटीएफ को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध स्विफ्ट कार जोधपुर-जयपुर हाईवे एनएच-25 से बिनावास टोल की ओर आ रही है। सूचना के बाद टीम ने दो हिस्सों में निगरानी शुरू की। एक टीम टोल पर तैनात रही, जबकि दूसरी ने टोल से पहले मोर्चा संभाला। कुछ देर बाद सूचना के अनुसार संदिग्ध कार दिखाई दी। टीम ने उसका पीछा कर टोल पर मौजूद टीम को सूचना दी। बिनावास टोल के पास कार की घेराबंदी कर उसे रुकवाया गया। स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में कार की तलाशी लेने पर 2 किलो 231 ग्राम एमडी बरामद हुई। पुलिस ने कार आरजे 19 सीक्यू 0674 और मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी रामपाल को गिरफ्तार कर लिया।

एएनटीएफ ने जोधपुर में 2231 ग्राम मॉर्डन ड्रग्स के साथ शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया।

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बीएससी और जीएनएम की पढाई कर चुका है। उसने कुछ समय तक यश अमन हॉस्पिटल और होम केयर में नौकरी भी की। पुलिस के अनुसार अधिक पैसा कमाने और अपने शौक पूरे करने के लालच में

- **फलौदी निवासी रामपाल मध्यप्रदेश से तैयार एमडी लाकर राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में सप्लाई करता था**

वह मादक पदार्थों की तस्करी से जुड गया।

वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश से डोडा पोस्त लेकर मारवाड की ओर आते समय कोटा के आरके पुरम थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इस मामले में उसे सजा हुई थी।

करीब छह साल आठ महीने बाद दिसंबर 2024 में वह जमानत पर जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आने के बाद रामपाल ने एक रिश्तेदार के साथ दोबारा डोडा पोस्त की तस्करी शुरू कर दी। वर्ष 2025 में मध्यप्रदेश पुलिस ने उसके रिश्तेदार को ट्रैक्टर-टैंकर के जरिए बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त की सप्लाई के मामले में गिरफ्तार किया था। जांच में रामपाल का नाम भी सामने आया, जिसके बाद वह फरार हो गया। करीब एक वर्ष तक फरार रहने के दौरान आर्थिक तंगी आने पर उसने डोडा पोस्त की तस्करी छोड़कर एमडी की तस्करी शुरू कर दी। एएनटीएफ की पूछताछ में आरोपी के मध्यप्रदेश के तस्करों से संपर्क होने की बात सामने आई है। जांच के अनुसार वह जोधपुर क्षेत्र से एमडी तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला आवश्यक कच्चा माल और केमिकल मध्यप्रदेश में मौजूद तस्करों तक पहुंचाता था। इसके बदले उसे तैयार एमडी मिलती थी, जिसे वह राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में सप्लाई करता था। आरोपी से पूछताछ के आधार पर एएनटीएफ ने तस्करी नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों और संभावित ठिकानों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। टीम यह पता लगाने में लगी है कि मध्यप्रदेश से एमडी की आपूर्ति कौन कर रहा था, निर्माण के लिए कच्चा माल और केमिकल कहां से उपलब्ध कराया जा रहा था और राजस्थान में तैयार एमडी किन-किन तस्करों तक पहुंचाई जाती थी। एएनटीएफ आरोपी के संपर्कों और सप्लाई चैन की कडियां जोडकर एमडी के निर्माण, परिवहन और वितरण से जुड़े पूरे नेटवर्क तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया ''संदेहास्पद लेनदेन के बजाए पूरा खाता नहीं करें फ्रीज''

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि साइबर ठगी से जुडे मामले में बिना सोचे समझे पूरे बैंक खाते को फ्रीज नहीं किया जाए। अदालत ने कहा कि 500 का संदेहास्पद लेन-देन होने पर 5 लाख रुपए वाले पूरे बैंक खाते तो अनिश्चित काल के लिए सीज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने मामले में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश साइबर ठगी से जुडी 100 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि इस फैसले का मकसद साइबर

- **अदालत ने कहा कि ''500 रुपए का संदेहास्पद लेन-देन होने पर 5 लाख रुपए वाले पूरे बैंक खाते तो अनिश्चित काल के लिए सीज नहीं किया जा सकता।''**

ठगी की जांच में कोई बाधा डालना नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच व बेगुनाह नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना है। जब जांच एजेंसी फर्जी खातों और बेगुनाह खाताधारक के बीच अंतर करेगी, तभी साइबर ठगी के खिलाफ मजबूती से लडाई होगी।

खाताधारक नहीं जाएगा दूसरे राज्य, पुलिस-बैंक स्पष्टीकरण लें

अदालत ने कहा कि यदि प्रदेश के बाहर की किसी जांच के आधार पर खाता फ्रीज किया गया है, तो राजस्थान पुलिस और बैंक के अधिकारी स्वयं संबंधित राज्य की एजेंसी से संपर्क कर स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे।

किसी नागरिक को केवल यह पता लगाने के लिए दूसरे राज्य की यात्रा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अदालत ने इसके लिए डीजी और साइबर क्राइम प्रभारी को एक माह में इस संबंध में परिपत्र जारी करने को कहा है। अदालत ने राज्य स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने को कहा है, जो खातों को लंबे समय तक फ्रीज रखने से जुड़ी शिकायतों की निगरानी करेगा। बैंकों को भी तुरंत तालमेल के लिए नोडल या शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

हाईकोर्ट की जारी गाइडलाइंस

स्पष्ट आधार जरूरी-बिना किसी ठोस जानकारी के आधार पर खाते को अनिश्चित काल के लिए पूरी तरह डेबिट-फ्रीज नहीं किया जाएगा।

संबद्धता के सबूत- पाबंदी लगाने से पहले जांच अधिकारी को अपराध और संबंधित खाते के बीच प्रथम दृष्टया संबंध के सबूत रिकॉर्ड दर्ज करने होंगे।

सिर्फ विवादित रकम पर रोक-जहां विवादित रकम की पहचान संभव हो, वहां पूरे खाते को फ्रीज करने के बजाय केवल उस निश्चित राशि पर होल्ड लगाया जाएगा।

व्यापक पाबंदी के कारण-म्यूल अकाउंट, जानबूझकर की गई भागीदारी या बार-बार संदिग्ध ट्रांजेक्शन के मामलों में यदि पूरे खाते को फ्रीज करना जरूरी हो, तो उसके लिखित कारण केस डायरी में दर्ज करने होंगे।

अदालत की मंजूरी-यदि जांच एजेंसी संपत्ति अटैच करना चाहती है, तो मामले को नियमानुसार सक्षम कोर्ट या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना होगा।

समय-समय पर समीक्षा- केवल जांच लंबित होने के आधार पर खाता अनिश्चित काल तक फ्रीज नहीं रहेगा। अधिकारी समय-समय पर इसकी जरूरत की समीक्षा करेंगे।

अंतर्राज्यीय शिकायत पर सुनवाई-दूसरे राज्य से मिली साइबर शिकायत के आधार पर खाताधारक की शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा-खाताधारक की शिकायतों का निवारण यथासंभव इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या वीसी के जरिए किया जाएगा।

ओ.एम.आर. में अंक बढ़वाने वाली संतोष मीणा गिरफ्तार

महिला सुपरवाइजर भर्ती फर्जीवाड़ा मामले में एसओजी का खुलासा

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता) सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के परिणाम में ओएमआर शीट की स्कैनिंग के दौरान फर्जीवाडा कर अंक बढ़वाने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने वांछित अभ्यर्थी संतोष कुमारी मीणा (37) निवासी कानोता हाल सांगानेर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। एसओजी अब उससे भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाडे और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है।

एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल के अनुसार कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर शीट की स्कैनिंग और परिणाम तैयार करने का काम संभालने वाली कंपनी 'राभव लिमिटेड' के कर्मचारियों और बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से परीक्षा परिणाम में

संतोष कुमारी

हेरफेर किया गया था। आरोप है कि संतोष कुमारी मीणा के मूल ओएमआर में कम अंक थे, जिन्हें कूटरचना के जरिए बढ़ाकर उसे चयन सूची में शामिल कराया गया।

जांच में सामने आया कि कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल ने कंपनी के कर्मचारियों विनोद कुमार गौड और शादान खान के साथ मिलीभगत की। आरोप है कि अभ्यर्थियों के परिणाम में हेरफेर करने के बदले लाखों रुपए लिए गए। इसी नेटवर्क के जरिए संतोष कुमारी के ओएमआर शीट के अंकों में कथित तौर पर बदलाव कर चयन सूची में स्थान दिलाया गया। वहीं रिमांड के दौरान एसओजी भर्ती परीक्षा में ओएमआर स्कैनिंग और परिणाम में हेरफेर के पूरे नेटवर्क तथा इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका को लेकर पूछताछ कर रही है। एसओजी थाना में दर्ज प्रकरण के तहत जांच चल रही है। इस मामले में पूर्व में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें कर्मचारी चयन बोर्ड के तत्कालीन एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) संजय माथुर, प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल, अभ्यर्थी पूनम माथुर, राभव लिमिटेड के कर्मचारी विनोद कुमार गौड और शादान खान सहित अन्य आरोपी शामिल हैं। संतोष कुमारी की गिरफ्तारी के बाद मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या सात हो गई है।

शैक्षणिक व्यवस्था के समक्ष गंभीर चुनौतियां मौजूद : प्रो. अशोक कुमार

जयपुर। राजीव गांधी स्टडी सर्कल के राज्य मुख्यालय में 'शिक्षा व्यवस्था : दशा और दिशा' विषय पर विद्वत संगोष्ठी आयोजित हुई। इसमें देश की शिक्षा व्यवस्था के समक्ष मौजूद चुनौतियों पर गंभीर वैचारिक विमर्श किया गया। संगोष्ठी में शिक्षा संस्थानों एवं स्कूलों की ढांचागत दुर्दशा, शिक्षकीय एवं अन्य पदों की रिक्तियां, शिक्षकों के अभाव में प्रभावित कक्षा शिक्षण, पूरे वर्ष चलने वाली परीक्षाओं से बोझिल शैक्षिक सत्र, बड़े कारोबार वाली कोचिंग इंडस्ट्री का प्रतियोगी परीक्षा तंत्र पर दबाव, पाठ्यक्रमों के पिछड़ेपन और शिक्षा-रोजगार के बीच बढ़ती खाई तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों व जमीनी हकीकत के बीच के अंतर जैसे मुद्दे उठाए गए।

मुख्य व्याख्यान देते हुए प्रतिष्ठित शिक्षाविद एवं कानपुर तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि सरकारी स्कूली शिक्षा की ढांचागत स्थिति दयनीय है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा की व्यवस्था शिक्षक रहित अथवा अतिथि, तदर्थ, अनुबंधित, आउटसोर्स और विद्या संबल शिक्षकों जैसी कामचलाऊ व्यवस्थाओं पर निर्भर होती जा रही है। स्कूलों की संख्या बढ़ी है, लेकिन ढांचागत एवं बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश में करीब 1 लाख स्कूल मात्र 1-1 शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस में बड़ा अंतर है, जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने की कोशिशें भी सामने आती हैं। बड़े कारोबार वाली कोचिंग इंडस्ट्री के दबाव में सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम प्रतियोगी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रह जाते। कोचिंग इंडस्ट्री के आर्थिक दबाव के बीच प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाएं भी चिंता का विषय हैं। संगोष्ठी की अध्यक्षता हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जयपुर की पूर्व कुलपति प्रो. सुधी राजीव ने की। विचार रखने वालों में कोटा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन प्रो. बी. एम. शर्मा, वरिष्ठ सर्वोदयी सवाई सिंह, प्रो. विनोद शर्मा, प्रो. रमेश वर्मा, प्रो. निमाली सिंह, शिवचरण माली और डॉ. दीपक शर्मा शामिल रहे।

बिना ई-वे बिल वाले 16 ट्रांसपोर्टर्स के 29 वाहन पकड़े

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राज्य में माल परिवहन के दौरान ई-वे बिल नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ वाणिज्यिक कर विभाग ने प्रवर्तन कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग की प्रवर्तन टीमों ने पिछले 10 दिनों में 16 अलग-अलग ट्रांसपोर्टरों के 29 वाहन पकडे हैं। इनमें बिना आवश्यक ई-वे बिल माल परिवहन करने तथा ई-वे बिल में वास्तविक माल की तुलना में कम मात्रा या कम मूल्य दर्शाने के मामले सामने आए हैं।

पकड़े गए वाहनों को नियमानुसार जब्त कर माल एवं संबंधित दस्तावेजों का विस्तृत सत्यापन किया जा रहा है। जांच के आधार पर देय कर, ब्याज एवं दंड की राशि निर्धारित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिछले तीन दिनों में जडिया ट्रांसपोर्ट, पूजा रोड कैरियर्स, बालाजी ट्रांसपोर्ट, टीएफसी, ओम शिव ट्रांसपोर्ट, शक्ति, उदयपुर गोल्डन, शेखावाटी ट्रांसपोर्ट कंपनी और यू ट्रांस लॉजिस्टिक सहित अन्य ट्रांसपोर्टरों के वाहनों में ई-वे बिल संबंधी अनियमितताएं पकडी गई हैं। कुछ ट्रांसपोर्टरों के एक से अधिक वाहन भी कार्रवाई की जद में आए हैं। प्रारंभिक जांच में कुछ मामलों में कर चोरी की मंशा से बिना आवश्यक ई-वे बिल माल परिवहन किए जाने की आशंका सामने आई है। वहीं कुछ मामलों में ई-वे बिल में वास्तविक माल की तुलना में कम मात्रा अथवा कम मूल्य दर्ज किया गया। प्रवर्तन टीमें वाहनों में लदे माल, ई-वे बिल और अन्य संबंधित दस्तावेजों का आपसी मिलान एवं सत्यापन कर रही हैं। वाणिज्यिक कर विभाग ने व्यवसायियों एवं ट्रांसपोर्टरों को स्पष्ट किया है कि माल परिवहन के दौरान ई-वे बिल में वास्तविक मात्रा, वास्तविक मूल्य और परिवहन से संबंधित सही विवरण दर्ज करना अनिवार्य है। बिना ई-वे बिल माल परिवहन करने अथवा जानबूझकर कम मात्रा या मूल्य दर्शाकर कर देयता कम करना कर चोरी है।

सार-समाचार

नवनियुक्त प्राचार्य से मिले समिति सदस्य

जयपुर। महाराजा कॉलेज बडीज़ समिति की ओर से कॉलेज की नवनियुक्त प्राचार्य सरीना कालिया से मुलाकात कर कॉलेज की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। समिति के सदस्यों ने कॉलेज की जर्जर स्थिति पर चिंता जताते हुए सुधार के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता बताई। समिति के अनुसार सीढ़ियों से ऊपर जाने पर स्थित हॉल, जो पहले रीडिंग रूम के रूप में उपयोग होता था, छत जर्जर होने के कारण बंद है। इसी वजह से प्रथम तल का शौचालय भी लॉक है। कॉलेज के अन्य शौचालयों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं बताई गई। समग्र रूप से कॉलेज परिसर की स्थिति में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। इस संबंध में प्राचार्य सरीना कालिया से चर्चा की गई, जिस पर उन्होंने कॉलेज के विकास और आवश्यक मरम्मत कार्यों के लिए सभी के सहयोग की अपेक्षा जताई। समिति ने अपील की कि यदि कोई सदस्य सीएसआर फंड के माध्यम से सहयोग कर सकता है या किसी अन्य स्तर पर मदद उपलब्ध करा सकता है, तो आगे आए। समिति ने सरकारी स्तर पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए सक्षम अधिकारियों से संपर्क कराने की भी अपील की। कहा गया कि सभी लोग मिलकर इच्छाशक्ति के साथ प्रयास करें तो कॉलेज की स्थिति में जल्द सुधार लाया जा सकता है। महाराजा कॉलेज से बहुत कुछ लिया है, अब कुछ देने का समय है।

निर्माणाधीन मकान के गड्ढे में डूबे मासूम

जयपुर। ब्रह्मपुरी क्षेत्र के मानपुर सड़वा इलाके में निर्माणाधीन मकान की नींव के लिए खोदे गए गड्ढे में भरे पानी में डूबने से दो भाई-बहन की मौत हो गई। हादसा बुधवार दोपहर हुआ। मृतकों की पहचान लियाकत हुसैन के बेटे मोहम्मद अयान (7) और बेटी आलिया (11) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे दिल्ली रोड स्थित सड़वा के रशीदा नगर में निर्माणाधीन मकान के पास खेल रहे थे। बारिश के बाद निर्माण के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में करीब साढ़े 4 फीट पानी भर गया था। खेलते-खेलते दोनों बच्चे गड्ढे में गिर गए और डूब गए। पिता लियाकत हुसैन ने बताया कि दोनों बच्चों के करीब 40-45 मिनट तक पानी में डूबे रहने की आशंका है। बच्चों के नजर नहीं आने पर उन्होंने तलाश शुरू की। बाद में पानी से भरे गड्ढे में बच्चों की चप्पलें दिखाई दीं। एक युवक की मदद से पानी में उतरकर दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तत्काल एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली। लियाकत हुसैन मूल रूप से बरेली के लाडपुर, उस्मानपुर के रहने वाले हैं और करीब तीन साल से सड़वा की रशीद विहार कॉलोनी में किराए के मकान में रहकर मजदूरी करते हैं। बच्चों की मौत की खबर मिलते ही मां रजिया का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया। पिता ने फिलहाल पुलिस में कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया है।

सहकारी संस्थाओं का नो-ड्यूज अनिवार्य हो

जयपुर। ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्पलाईज यूनियन के महासचिव एवं सहकारी साख समितियाँ एम्पलाईज यूनियन राजस्थान के अध्यक्ष सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्यमंत्री एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता को पत्र लिखकर पंचायत-निकाय चुनावों में नामांकन के साथ सहकारी संस्थाओं से संबंधित नो-ड्यूज/अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य करने की मांग की है। आमेरा ने मांग की कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी) एवं अपैक्स बैंक के ऋण बकाया से संबंधित नो-ड्यूज प्रमाण पत्र को नामांकन के साथ अनिवार्य दस्तावेज बनाया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 9000 से अधिक सहकारी पैक्स/लैम्प्स, 36 पीएलडीबी और 29 जिला सहकारी बैंकों में हजारों करोड़ रुपये का अवधिपार ऋण बकाया है। अनेक बड़े बकायादार चुनावों में प्रत्याशी बन जाते हैं, जिससे ऋण वसूली प्रभावित होती है। आमेरा के अनुसार नो-ड्यूज अनिवार्य होने से सहकारी ऋणों की वसूली में तेजी आएगी, सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और एनपीए घटेगा। इससे ईमानदार एवं जरूरतमंद किसानों को लाभ मिलने के साथ सहकारी संस्थाएं भी मजबूत होंगी। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था किसी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश के सहकारी साख तंत्र को मजबूत करने और 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी।

पशुपतिनाथ यात्रा 31 अगस्त तक स्थगित

जयपुर। नेपाल में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा और कठिन परिस्थितियों के बीच राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए एक बड़ा और अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शनों के लिए जाने वाले बुजुर्ग तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए इस यात्रा को फिलहाल पांच दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि काठमांडू (नेपाल) की इस हवाई यात्रा को 27 अगस्त से 31 अगस्त तक के लिए रोक दिया गया है।

ट्रेलर की टक्कर से मां-बेटी की मौत

फागी क्षेत्र में हुआ हादसा, ट्रेलर ने जुगाड़ रिक्शे को मारी थी टक्कर

जयपुर। जयपुर ग्रामीण जिले के फागी थाना क्षेत्र में राखी का त्योहार मनाकर केकडी से जयपुर लौट रहे परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। जयपुर-भीलवाडा मेगा हाईवे पर मोहनपुरा-पृथ्वी सिंह मोड के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने जुगाड़ रिक्शे को टक्कर मार दी। हादसे में रिक्शे में सवार मां-बेटी की मौत हो गई, जबकि परिवार के तीन अन्य सदस्य घायल हो गए। परिवार के पांच सदस्य केकड़ी में राखी का त्यौहार मनाकर रिक्शे से जयपुर लौट रहे थे। इसी दौरान जयपुर से फागी की ओर जा रहे ट्रेलर ने रिक्शे को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रिक्शा बुरी तरह क्षितग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों व आसपास के लोगों की भीड जमा हो गई। फागी वृत्ताधिकारी अनिल कुमार डोरिया ने बताया कि हादसे में गज्जू कालबेलिया, विनोद और मीरा देवी को हल्की चोटें आईं। वहीं सुगना देवी और उनकी बेटी नौरती गंभीर घायल हो गईं। दोनों को तत्काल फागी उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर रेनवाल मांजी थानाधिकारी कमलेश चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर सडक पर लगे जाम को हटवाया और यातायात सुचारू करवाया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर और क्षितग्रस्त रिक्शे को रेनवाल मांजी थाने में खडा करवाकर चालक की तलाश शुरू कर दी है।

जेल प्रहरी भर्ती पेपर लीक मामले में 8 साल से फरार मुख्य आरोपी गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा-2018 के पेपर लीक और उत्तर कुंजी के जरिए नकल कराने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने आठ साल से फरार चल रहे आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुनील कुमार (36) पुत्र मनफूल सिंह यादव, गांव सहड, थाना पचेरी कलां, बुहाना, झुंझुनूं का निवासी है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एसओजी) ने आठ साल से फरार चल रहे आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी विशाल बंसल ने बताया कि अक्टूबर 2018 में टीसीएस कंपनी की ओर से ऑनलाइन मोड में जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। जांच में सामने आया कि नकल माफिया ने टीसीएस के प्रोजेक्ट मैनेजर से मिलीभगत कर परीक्षा की सभी पारियों की उत्तर कुंजी पहले ही हासिल कर ली थी। इसके बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्न-पत्र और उत्तर कुंजी पढाकर अनुचित तरीके से चयन कराया गया।

जांच के अनुसार सुनील कुमार ने राजेश्वर उर्फ राजेश प्रधान के माध्यम

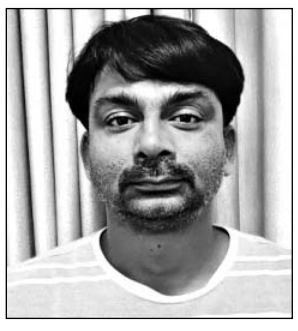

से अभ्यर्थी योगेश कुमार को परीक्षा से पहले प्रश्न-पत्र और उत्तर कुंजी पढवाई थी। इसके बाद योगेश का जेल प्रहरी पद पर फर्जी तरीके से चयन कराया गया। एसओजी ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 29 अगस्त 2026 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पूछताछ में पेपर लीक नेटवर्क से जुडे अन्य लोगों और गतिविधियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। जेल प्रहरी भर्ती धांधली के दर्ज प्रकरण में एसओजी पहले ही टीसीएस के प्रोजेक्ट मैनेजर, नकल माफिया के प्रमुख सदस्यों और अनुचित लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों सहित 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

जनवरी से अब तक प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 146 पॉजिटिव केस मिले

प्रदेश में सर्वाधिक 55 केस अगस्त माह में सामने आए हैं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। देश के कुछ राज्यों, विशेषकर दिल्ली में एच1एन1 स्वाइन फ्लू के मामलों में वृद्धि को देखते हुए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया कि विभाग प्रदेश में स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा है। जनवरी 2026 से अब तक राजस्थान में स्वाइन फ्लू (इन्फ्लुएंजा एच1एन1) के 146 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सभी संबंधित चिकित्सा संस्थानों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने बताया कि जनवरी से अगस्त 2026 तक स्वाइन फ्लू के जनवरी में 2, फरवरी में 3, मार्च में 20, अप्रैल में 22, मई में 25, जून में 14, जुलाई में 5 और अगस्त में 55 मामले सामने आए हैं। अगस्त में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

- **हालांकि ''एच1एन1'' के नए या अधिक घातक स्ट्रेन की पुष्टि नहीं**

उन्होंने स्पष्ट किया कि ''एच1एन1'' वायरस के किसी नए या अधिक घातक स्ट्रेन के प्रसार की पुष्टि नहीं हुई है। आईसीएमआर के अनुसार वर्तमान में प्रचलित एच1एन1 वायरस पहले से ही सक्रिय है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी और समय पर चिकित्सकीय सलाह जरूरी है।

फ्लू जैसे लक्षणों पर सावधानी बरतें

गायत्री राठौड़ ने बताया कि स्वाइन फ्लू एक श्वसन संक्रमण है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, सिरदर्द, शरीर में दर्द और थकान शामिल हैं। अधिकांश मरीज उचित देखभाल एवं चिकित्सकीय सलाह से स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों में जटिलताओं का खतरा अधिक रहता है।

उन्होंने आमजन से खांसी या छींक आने पर मुंह-नाक को रूमाल, टिश्यू या कोहनी से ढकने, हाथों को साबुन-पानी से बार-बार धोने अथवा हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने की अपील की। बुखार, खांसी या गले में खराश जैसे लक्षण होने पर भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, आवश्यकता पड़ने पर मास्क पहनें, पर्याप्त आराम करें और तरल पदार्थों का सेवन करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई दवा न लें।

सांस लेने में तकलीफ, लगातार तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी, ऑक्सीजन स्तर में कमी या अन्य गंभीर लक्षण दिखाई देने पर तुरंत निकटतम स्वास्थ्य संस्थान अथवा चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह दी गई है। श्रीमती राठौड ने कहा कि फ्लू जैसे लक्षण होने पर घबराएं नहीं और अफवाहों पर ध्यान न दें। बिना चिकित्सकीय परामर्श के एंटीबायोटिक या एंटीवायरल दवाओं का सेवन न करें और स्वयं दवा की खुराक तय कर लंबे समय तक दवा न लें। बीमारी की स्थिति में स्कूल, कार्यालय, समारोह अथवा अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने और संक्रमित या लक्षण वाले व्यक्ति के साथ अनावश्यक निकट संपर्क नहीं रखने की भी अपील की गई है। चिकित्सा विभाग स्वाइन फ्लू और मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों की लगातार निगरानी कर रहा है। सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों को मरीजों की जांच, उपचार और जरूरत पड़ने पर रेफरल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने आमजन से फ्लू जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करने की अपील की है।